



ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)



संख्या : 1194 / भविवि / कुसका / 2021

दिनांक : 04 दिसम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-22 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय सभा (कोर्ट) की श्रेणी-IV पंजीकृत स्नातक (xi) के चयन की कार्यवाही कराये जाने हेतु मा० कुलपति जी द्वारा निम्नवत् समिति गठित की जाती है:-

1. प्रो० सैयद हैदर अली, अधिष्ठाता-छात्र कल्याण
2. डॉ० प्रवीण कुमार राय, कुलानुशासक
3. डॉ० अताउर्रहमान आजमी, उप परीक्षा नियंत्रक

अतः उपरोक्त समिति के सदस्यों उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-22 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय सभा (कोर्ट) की श्रेणी-IV पंजीकृत स्नातक (xi) के चयन की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(संजय कुमार)
कुलसचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० कुलपति जी।
2. प्रो० सैयद हैदर अली, अधिष्ठाता-छात्र कल्याण
3. डॉ० प्रवीण कुमार राय, कुलानुशासक
4. डॉ० अताउर्रहमान आजमी, उप परीक्षा नियंत्रक
5. समस्त मा० सदस्यगण विश्वविद्यालय सभा।
6. समस्त मा० सदस्यगण कार्य परिषद्।
7. समस्त आचार्य/सह आचार्य/सहायक आचार्य
8. वेबसाइट एडमिनिस्टर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

Ajauha
(अर्चना जौहरी)
उप कुलसचिव।